भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्याध 1391

सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

केन्द्रीय योजनाओं को बंद करना

1391. श्री बालूभाऊ धानोरकर उर्फ सुरेश नारायण:

क्याद वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों के लिए निर्मित कुछ केन्द्रीय योजनाओं को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान चल रही केन्द्रीय योजनाएं और इस हेतु योजना-वार आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष हेतु राज्य योजनाओं के लिए कुल केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): मुख्यमंत्रियों के उप समूह की सिफारिश के आधार पर और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के परामर्श से, भारत सरकार ने मौजूदा 66 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को 28 स्कीहमों में पुनर्गठित किया है , जिसे नीति आयोग ने दिनांक 17.08.2016 के अपने कार्यालय ज्ञापन के तहत सूचित किया था । यह भी उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू किए जाने के बाद राज्यों को अंतरण 32 % से बढ़ाकर 42 % कर दिया गया है जिससे केन्द्र की तुलना में राज्यों के पास संसाधन उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित स्कीम में उपलब्ध फ्लेक्सी फंड का स्तर 10% से बढ़कर 25% हो गया है। यह राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने और नवाचार की शुरूआत करने के लिए सक्षम बनाने हेतु किया गया था। पिछले पांच वर्षों में 28 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए भारत सरकार के व्यय बजट में परिव्यय में नीचे दर्शाए गए रुझान से 2015-16 के वास्तविक की तुलना में 2019-20 के बजट प्राक्कलन (I) में लगभग 60% की वृद्धि का पता चलता है।

(करोड़ रुपए)

स्कीम का वर्ग	**वास्तविक 2015-16**	**वास्तविक 2016-17**	**वास्तविक 2017-18**	**सं.प्रा. 2018-19**	**ब.प्रा. (अंतरिम) 2019-20**
केन्द्र प्रायोजित स्कीम	2,03,740	2,41,296	2,85,448	3,04,849	3,27,679

*****